

4164-30

FORM - 253 1

**Name of Work : Construction of Km. 2 of Toli Motor Road to Baghar
Motor Road (Stage - I) under PMGSY.**

Annexure-1

FORM - 1

Government of Uttarakhand

Office of the District collector : Bageshwar

No.

Date :

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **4.9148** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction **Km. 2 of Toli Motor Road to Baghar** Motor Road (9.934 Km) under PMGSY in Bageshwar district falls with in jurisdiction of Baghar Gram Panchayat in Kapkot Tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.9148** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23-2.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.- As above.

Signature

(Bhupal Singh Manral,
(District Collector)

Scheme of Work : Construction of Km. 2 of Toli Motor Road to Baghar Motor Road (Stage - I) under PMGSY.

Annexure-1

FORM - 2

Government of Uttarakhand

Office of the District collector : Bageshwar

No.

Date :

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **4.9148** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Km. 2 of Toli Motor Road to Baghar Motor Road (9.934 Km)** under PMGSY in Bageshwar district falls with in jurisdiction of Baghar Gram Panchayat in Kapkot Tehsil.

It is further certified that :

S.No.		Remarks
1	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.9148 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure <u>23</u> to <u>23-2</u> .	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
2	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.

Encl.- As above.

Signature

(Bhupal Singh Manral,
(District Collector)

5124 - 30.1

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	श्री भगवत डसीला, जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	श्री मनोज कुमार, जिला पंचायत सदस्य	सदस्य/सचिव
5-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव

आज दिनांक 5-12-14 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट के प्रमाण पत्र दिनांक 13-11-2014 द्वारा तोली मो0मा0 के कि0मी0 2 से बघर मो0मा0 के लिए 4.9148 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा तोली मो0मा0 के कि0मी0 2 से बघर मो0मा0 हेतु वनभूमि परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर तोली मो0मा0 के कि0मी0 2 से बघर मो0मा0 हेतु 4.9148 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा तोली मो0मा0 के कि0मी0 2 से बघर मो0मा0 के निर्माण हेतु 4.9148 है0 भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर, वन प्रभाग,
बागेश्वर,

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिला अधिकारी
बागेश्वर,

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि० मी० 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि०मी०) में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति कपकोट

उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि० मी० 2 से बघर मोटर मार्ग (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 3.9504 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.9644 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.9148 हे० वन भूमि) का प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 12...../11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के० एस० टोलिया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री के० एस० टोलिया	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री कालू राम वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री शेर सिंह	बी०डी०सी० क्षेत्र-बघर	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि० मी० 2 से बघर मोटर मार्ग परियोजना हेतु... 4.9148 हे० वन भूमि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~कपड़वाट~~ परिक्षेत्र के तोली मोटर मार्ग के किमी 0.2 से बघर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.9148 हे० वन भूमि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील :-कपकोट

जनपद :- बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील :-कपकोट

जनपद :- बागेश्वर

2/19/08 6/5/13 6/14/01 10/9/08
6/14/01 6/14/01 6/14/01

मन्त्रिय-
वहाराच शास्त्र बधा देहा वमा
लठ मयको उ जिका जाइ बर के
शास्त्र बधा मैं मोरर मज निमोन
दीनार है मयकि वनविमज के
अनरगल १०१५४ है मयि काली हो
उम मयि पर कादिबारी का नो
गुमादिबारी मयि मयना मदी है
किया देसात कमा मयि जिव

20/11/24

[illegible]

12-11-14
बागेश्वर
~~सुखसिंह~~
baf

परियोजना का नाम

:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि० मी० 2 से बघर मोटर मार्ग , (लम्बाई 9.934 कि०मी०) में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 13/11/2014 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद-बागेश्वर।

1.	श्री के० एस० टोलिया	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	Sub Divisional Magistrate
2.	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3.	श्री कालू राम वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य	
4.	श्री शेर सिंह	बी०डी०सी० क्षेत्र- बघर	सदस्य	

शेर सिंह बिष्ट
क्षेत्र पंचायत सदस्य
बघर (कपकोट) बागेश्वर

25/24-30.3

परियोजना का नाम :-

जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि० मी० 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि०मी०) में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- बघर

तहसील :- कपकोट

जिला :- बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **बागेश्वर** के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि० मी० 2 से बघर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है० आरक्षित वन भूमि, 3.9504 है० सिविल सोयम भूमि, 0.9644 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **4.9148** है० वन भूमि का प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बघर द्वारा दिनांक **10/11/2014** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बघर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.9148 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सभा के सदस्य
सचिव
वि० ख०
जनपद-बागेश्वर

ह०/- **सुभाष राम**

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बघर
वि० ख०-कपकोट जिला-बागेश्वर

दिनांक 10/011/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

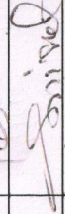
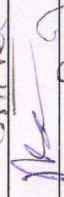
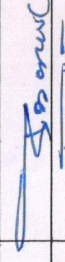
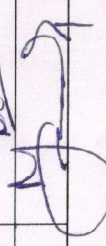
ग्राम पंचायत बघर

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
28	केशर सिंह चिख	केशर सिंह
29	शकर सिंह	शकर सिंह
30	दीपा देवी	दीपा देवी
31	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
32	(रत्नाकर)	रत्नाकर
33	रमेश कुमार	रमेश कुमार
34	धनश्याम शर्मा	धनश्याम शर्मा
35	अमरावती	अमरावती
36	अमरावती	अमरावती
37	रत्नाराम	रत्नाराम
38	राम सिंह	राम सिंह
39	रमेश कुमार	Ramesh Kumar
40	रत्नाराम	रत्नाराम
41	रत्नाराम शर्मा	रत्नाराम शर्मा
42	वीर शर्मा	वीर शर्मा
43	पान सिंह	पान सिंह
44	रत्नाराम सिंह	रत्नाराम सिंह
45	रत्नाराम देवी	रत्नाराम देवी
46	रमेश कुमार	रमेश कुमार
47	रत्नाराम सिंह	रत्नाराम सिंह
48	रत्नाराम सिंह	रत्नाराम सिंह
49	रत्नाराम सिंह	रत्नाराम सिंह
50	रत्नाराम सिंह	रत्नाराम सिंह
51	रत्नाराम सिंह	रत्नाराम सिंह
52	रत्नाराम सिंह	रत्नाराम सिंह
53	रत्नाराम सिंह	रत्नाराम सिंह
54	वीर शर्मा	वीर शर्मा

H0 / - शुभारंभ शर्मा
ग्राम प्रधान

दिनांक 10/011/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बघर

क्र० स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	होमिदाथसिंह बिहारी	
(2)	सुन्दर सिंह बिहारी	
3-	हरिबोका सिंह पट्ट	
4-	गुलाश कबी	आशा देवी
5-	बलवंत राम	ममलर सिंह
6-	दिवान सिंह	बोवान सिंह
7-	महलान सिंह	अप्रवान सिंह
8-	पदम सिंह	पदम सिंह
9-	रामेन्द्र सिंह	
10-	राजेश सिंह	बोकिरा सिंह
11)	चंचल राम	Chanchal Ram
(12)	तुलसी देवी	तुलसी देवी
(13)	भूषाब राम	भूषाब राम
14	मोहन राम	मोहन सिंह
15	लीला	लीला
16	लक्ष्मी	लक्ष्मी
17	कमला	कमला
18-	जयन्ती देवी	वसन्ती देवी
19	लिलोककिंद	
20	जगत राम	जगत राम
21	मोहन सिंह	मोहन सिंह
22	लक्ष्मी सिंह	लक्ष्मी
23	रमेश सिंह	रमेश
24	दमान सिंह बिहारी	दमान सिंह
25	सुभाष सिंह	सुभाष
26	पुमादे कुमार	पुमादे
27	माहेश सिंह बिहारी	

H0/- सुभाष राम
ग्राम प्रधान

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
55	कुल्लू सिंह	कुल्लू सिंह
56	दीपक राम	दीपक राम
57	Ramnik	Ramnik
68	Bakshi	Bakshi
69	कुल्लू सिंह	कुल्लू सिंह
70	रमर-क सिंह	रमर-क सिंह
71	अकाल दास	अकाल दास
72	राजेन्द्रा सिंह वधवा	राजेन्द्रा सिंह

ग्राम प्रधान
५१२७०२४ / ०३

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बरार
वि०७७०-कयकोट जिला-लांगेश्वर